प्र.सं. 4/2015 उंकारसिंह व अन्य बनाम अर्जुनसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की सेटलमेन्टी खसरा नंबर 71 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 103 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम ऊदाजी का गढा, तहसील घाटोल में स्थित है। साबिक खसरा नंबर 103 के हाल आराजी नंबर 273 रकबा 0.53 हैक्टर एवं आराजी नंबर 274 रकबा 0.20 हैक्टर बने, जो बिना किसी आदेश के अवैध रूप से श्री सरकार दर्ज कर दिया गया एवं इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 71 से बने हाल 244, 248, 249, 253 में से आराजी नंबर 248 रकबा 0.16 हैक्टर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त आराजियात पर कब्जा आज भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का चला आ रहा है, जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 23 खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं। इसी प्रकार साबिक आराजी नंबर 71 से बने हाल 244 रकबा 0.08 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 14 से 17 के नाम, आराजी नंबर 249 रकबा 0.08 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 से 13 के नाम तथा आराजी नंबर 253 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर दिये गये, जबकि मौके पर वादीगण का भी उक्त खेतों पर कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 को सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 24 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.06.2014 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की। तत्पश्चात वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर [illegible] 08.2014 को अंतिम डिक्री जारी की, [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 व 9 द्वारा इस [illegible] 2015 को प्रस्तुत की गयी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माह अक्टूबर 2014 में अप्रार्थी संख्या 1 अपीलान्ट को धमकी देने लगा और कहा की जमीन में मेरा नाम चढ़ गया है। तब पटवारी से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्टगण की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 11 दिलीप की मृत्यु हो गयी, किन्तु उसके वारिसान को बिना रेकार्ड पर लिये दिलीप का नाम हटा दिया गया, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.08.2014 को संशोधित डिक्री जारी की, किन्तु उक्त संशोधित डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलान्टगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। विवादित आराजियात के तीन मूल खातेदार थे, जिनके वारिसान का सजरा अपील मीमो की कलम संख्या 8 अनुसार है। उक्त आराजियात बाबत पूर्व में दिनांक 31.12.2005 को उपखण्ड अधिकारी घाटोल द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसके आधार पर के प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन प्राधिकरण अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

आ रहे हैं, जिसे आज तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है, जिससे वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, किन्तु वादी ने उक्त तथ्यों को छुपाकर 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि सेटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत् 2006 में विवादित साबिक आराजी नंबर 103 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 71 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि गोपालसिंह, गुलाबसिंह, गरवरसिंह पिता मोकमसिंह के नाम दर्ज है। अर्थात वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता गुलाबसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है, किन्तु उनके बने हाल आराजी नंबरों में सेटलमेन्ट द्वारा गलती से वादी के पिता गुलाबसिंह का नाम दर्ज करने से रह जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को विवादित आराजियात का सहखातेदार घोषित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 9/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2014 एवं 01.08.2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

उंकारसिंह पिता श्री अमरसिंह राजपूत, निवासी उदाजी का गड़ा, तह. घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	अर्जुन पिता गुलाबसिंह मृतक के बजाय :– मोहनसिंह पिता अर्जुनसिंह, नि. उदाजी का गड़ा, तह. घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....04/2015.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी .....
.....घाटोल..... मुकाम.....मुवर्खे.....04.....माह.....06.....2014.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04.....माह.....04.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... श्री यशपाल गुप्ता

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 9/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 04–06–2014 एवं 01–08–2014 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये ..... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04.....माह.....04.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चार्ज डिग्री के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested